न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/133/18	02–11–2018	25–06–2019

1. वन विभाग अलवर जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी टहला तहसील राजगढ जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

1. ब्रजपाल सिंह चौहान पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी सी–46 शिकारी पाडी गोरधन विलास उदयपुर राज0
2. रामधन पुत्र भैरूबक्स जाति गुर्जन निवासी चाबा का बास तहसील राजगढ जिला अलवर

2/1. भगवती देवी बेवाह रामधन(मृतक)
2/2. प्रभूदयाल पुत्र रामधन गुर्जर
2/3. गिर्राज पुत्र रामधन
2/4. रूपनारायण पुत्र रामधन
2/5.रामकिशोर पुत्र रामधन गुर्जर निवासीयान चाबा का बास तहसील राजगढ जिला अलवर

3. रमेश चन्द पुत्र भगवान सहाय
4. रामजीलाल पुत्र भगवान सहायक जाति ब्राहमण निवासी चाबा का बास तहसील राजगढ
5. तहसीलदार राजगढ जरिये लैण्ड होल्डर तहसील राजगढ अलवर

रेस्पौडेण्ट

विरूद्ध आज्ञा अदालत वन बंदोबस्त अधिकारी जयपुर निर्णय दिनांक 11.10.1982 द्वारा रक्षित वनखण्ड नाडू H तहसील राजगढ के ग्राम लोसल गत ख0नं0 1 में वन बन्दोवस्त अधिकारी द्वारा की गई तरमीम को दुरूस्त कराने बाबत।

उपस्थितः–

01. श्री गणपत सिंह नरूका – वकील अपीलान्ट
02. श्री उदय प्रताप सिंह – वकील रेस्पौडेन्ट नं01
03. विभागीय पैरोकार

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील वन बदोबस्त अधिकारी जयपुर के आदेश दिनांक 11–10–1982 से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया रैस्पा0 संख्या 2/1 ला0 4 बावजूद सूचना उपस्थित नही। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पौडेन्ट ने तहत अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29(1) के अनुसार वन भूमि या सिवाय चक भूमि जिसकी मालिक राज्य सरकार है को ही रक्षित वन में शामिल किया जा सकता है। राज्य सरकार की प्रारम्भिक विज्ञप्ति संख्या 1(6)(33)राज–8/74 दिनांक 01.11.1975 जिसका प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में दिनांक 25.12.1975 में हुआ है में वन खण्ड नाडू के अन्तर्गत राजस्व ग्राम लोसल के विभिन्न खसरा नम्बरान का 1514 बीघा 18 बिस्वा रकबा प्रकाशित किया है इस 1514 बिस्वा में गत खसरा नम्बर 01 का 61 बीघा रकबा शामिल है। सन् 1970

अलवर (राज0)

से पूर्व गत खसरा नम्बर 01 की भूमि में से कुछ व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई जिसकी तरमीम राजस्व विभाग द्वारा तत्समय की गई परन्तु बन्दोवस्त अधिकारी द्वारा गत खसरा नम्बर 01 में जो भूमि आवंटित की गई जो रैस्पा0 की थी उस भूमि को एवं गत खसरा नम्बर 01 की शेष भूमि 37 बीधा 08 बिस्वा वनखण्ड नाडू H में शामिल कर दिया। वन बन्दोवस्त अधिकारी द्वारा खसरा नम्बर 01 का 37 बीधा 08 बिस्वा रकबा जो खण्ड में शामिल किया गया उसकी तरमीम वन बन्दोवस्त नक्शे में की गई लेकिन वन बन्दोवस्त अधिकारी द्वारा तरमीम में तरमीम करते समय तरमीम के अन्दर खातेदारी की भूमियों का आंशिक भाग वन सीमा के अन्दर आ गया तथा वन विभाग के कब्ज की कुछ भूमि तरमीम से बाहर रह गई। खसरा नम्बर 01 से बने हाल खसरा नम्बर 1, 2, 3, 7, 17, 18, व 19 की कल 10.34 है0 भूमि विभाग के कब्जे में है तथा राजस्व रिकार्ड में विभाग के नाम अंकित है यह भूमि वन बन्दोवस्त नक्शा में हाल नक्शा अनुसार किया जावें। रैस्पा0 की जो भूमि वन विभाग के अधिकारी द्वारा रक्षित वन खण्ड नाडू H तहसील राजगढ में शामिल कर दिया उस भूमि को बाहर कर दिया जावें। इन तथ्यों पर बिना गौर व जॉच किये तथा अपीलार्थी को बिना सुनवाई का मौका दिए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। तहत अदालत ने इन तथ्यों पर कोई गौर नहीं किया। तहत अदालत का निर्णय निरस्त होने योग्य है। अपीलाधीन आदेश इकतरफा में जारी किया है, जिसकी जानकारी अपीलार्थी को नहीं थी। अपीलान्ट क्षेत्रीय वन अधिकारी टहला स्वयं वन विभाग फिल्ड एवं प्रशासनिक वन अधिकारी को देखते है जिस कारण फिल्ड/प्रशासनिक कार्यो में अत्यधिक व्यस्त्ता के कारण प्रकरण लम्बे समय तक विभिन्न कार्यालयों से अपीलान्ट के कार्यालय को प्राप्त की और विधिक राय प्राप्त होने पर बिना किसी देरी से अवधि देरी दिनांक 11.10.1982 से 14.08.2018 तक कण्डोन किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद के साथ अपील अन्दर मियाद पेश की है। विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावें एवं स्वीकार फरमाई जावें।

तहसीलदार कम लैण्ड होल्डर तहसील राजगढ अलवर से विवादग्रस्त आराजी की रिपोर्ट प्राप्त गई, तहसीलदार राजगढ ने अपने पत्रांक 2019 दिनांक 22.11.2018 से अवगत कराया कि अपील में वर्णित गत खसरा नं0 01 से मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2046 के अनुसार रैस्पा0 सं0 1 एवं अन्य खातेदारों के नाम खातेदारी दर्ज रेकार्ड होना बताया एवं ख0नं0 1, 2, 3, 7, 17, 18, 19 वन विभाग के नाम दर्ज रेकार्ड होना बताया। साथ ही जमाबन्दी सम्वत् 2024 के खाता संख्या 122 में साबिक ख0नं0 1 मी0 रकबा 10 बीधा रामेश्वर पुत्र रामकुवार ब्रा0 देह गैर खातेदार अलोट 28.6.64 दर्ज रेकार्ड एवं खाता संख्या 125 में साबिक ख0नं0 1मी0 रकबा 10 बीधा रामधन पुित्र भैरूबक्स गुजर नि0 चाहाकाबास गैर खातेदार अलोटी दिनांक 23.5.66 दर्ज रेकार्ड है एवं खाता संख्या 127 में ख0नं0 1 मी0 रकबा 6 बीधा लक्ष्मीनारायण पुत्र रामधन ब्रा0 गैर खातेदार अलोटी दिनांक 23.5.66 दर्ज रेकार्ड है एवं खाता सं0 1 में ख0नं0 1 मी0 रकबा 37 बीधा 8 बिस्वा सिवायचक दर्ज रेकार्ड है, एवं साबिक ख0न0 1 कुल रकबा 63 बीधा 8 बिस्वा में से मुताबिक जमाबन्दी 2024 के कुल 16 बीधा भूमि अलोट हो गयी एवं 37 बीधा 8 बिस्वा भूमि सिवायचक शेष रह गयी। साबिक जमाबन्दी के हाल जमाबन्दी में खाता सं0 102 में किता 3 रकबा 1.50 एवं खाता सं0 76 में

अलवर (राज0)

किता 6 रकबा 2.55 एवं खाता सं0 69 में किता 6 रकबा 1.63 खातेदारी दर्ज रेकार्ड है तथा आ0ख0नं0 1, 2, 3, 7, 17, 18, 19 किता 7 रकबा 10.34 वन विभाग के नाम दर्ज रेकार्ड है। साथ ही आ0ख0नं0 4, 5, 6, 29, 30, 31 किता 6 रकबा 2.55 एवं 32,37,38, किता 3 रकबा 1.50 एवं 8,9,10,11,12,13, किता 6 रकबा 1.63 में खातेदारों का कब्जा काश्त है की रिपोर्ट भिजवाई गई।

विद्वान वकील रेस्पौडेन्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुये जाहिर किया कि गजट नोटिफिकेशन की भाषा से स्पष्ट है कि व्यक्तियों/वर्गो के वर्तमान अधिकारों में कमी नहीं होगी और उन पर न कोई प्रभाव पड़ेगा, जिससे जाहिर है कि रेस्पौडेन्ट के अधिकारो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अपीलांट को यह कथन गलत है कि निर्णय अनुपस्थिति में किया हो, बल्कि तहत अदालत ने वन विभाग का क्षेत्रिय वन अधिकारी टहला उपस्थित था। अपीलांट ने राज्य सरकार को पक्षकार भी नहीं बनाया। अपीलांट ने अपील मियाद बाहर व निराधार तथ्यों पर पेश की है।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया। अपीलांट ने आदेश दिनांक 11–10–1982 के विरूद्व यह अपील देरी की अवधि दिनांक 11.10.82 से 14.08.2018 तक कण्डोन किया जाने हेतु विलम्ब को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद का पेश कर निवेदन किया है। उसके बाद अपील की स्वीकृति लेकर जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद पेश की है। रेस्पोडेट ने जाहिर किया है कि अपीलांट तहत अदालत में पक्षकार थे। तथा प्रकरण में प्रारम्भ से ही पैरवी कर रहे है। प्रार्थना पत्र में गलत तथ्य अकित किये है। तहत अदालत के निर्णय का अवलोकन किया। निर्णय में अपीलार्थी की उपस्थिति अंकित है जिससे जाहिर है कि निर्णय के दिवस अपीलार्थी तहत न्यायालय में उपस्थित था। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अकित तथ्यों पर विश्वास कर नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुये विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया है कि विवादित आराजी को राज्य सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन के द्वारा वन खण्ड धोषित किया है। तहत अदालत ने बिना प्रभारी अधिकारी को सुने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। यह तथ्य निर्विवाद रूप स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर को राज्य सरकार द्वारा जरिये अधिसूचना वन रक्षित क्षेत्र धोषित किया है। रेस्पोडेन्ट ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि वन रक्षित धोषित खसरा नम्बर में स्थित भूमि को पृथक रखा गया हो और न ही रेस्पोडेन्ट ने ऐसा भी कोई साक्ष्य पेश नही किया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि रेस्पोडेन्ट ने अधिसूचना जारी होने के दिनांक से निर्धारित समयावधि में वन बन्दोबस्त अधिकारी को अपने हित निर्धारित करने के लिये दावा पेश किया हो। तहत अदालत के निर्णय को उचित नही ठहराया जा सकता है। अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। वन बंदोबस्त अधिकारी, जयपुर का निर्णय दिनांक 11–10–1982 निरस्त किया जाता है। निर्णय

तहत अदालत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर नियमों के अनुसार प्रकरण में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय प्रति तहत अदालत को भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली बाद पूर्ति दाखिल लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 25–06–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर, अलवर
अलवर (राज.)